दिनांक 11.09.2024 को पेश

सहायक कलक्टर
रियांबडी

11/9/24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान SDO साहब अवकाश/दौरे/बाहर मिटिंग में पधारे है। मिसल दिनांक 30/9/24 को पेश हो।
30/9/24	वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील उम्मेदपुरी का वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थना पत्र में जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली की। उपस्थित वकीलान की बहस सुनी गई। पत्रावली मय उपलब्ध समस्त रेकर्ड का अध्ययन किया गया। सम्पूर्ण विवेचन

पर मनथन किया जाने पर पाया कि वादग्रस्त खसरा 18 खातेदारों की सह खातेदारी है। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी के लाभ में तुलनात्मक अपूरणीय क्षति सह खातेदार को अधीक होना प्रतीत होता है। प्रकरण में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायालय के पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28/05 को खारिज किया जाता है। उक्त की तहरीर दरियां [?] वही में जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम करते हुए दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर